

संस्कृत साहित्य — परिचय

संशोधित संस्करण



11119

विद्यया ऽ मृतमश्नुते



एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

11119—संस्कृत साहित्य-परिचय

कक्षा 11 एवं 12 के लिए

ISBN 978-93-5007-805-1

प्रथम संस्करण

फरवरी 1985 फाल्गुन 1906

संशोधित संस्करण

मई 2003 ज्येष्ठ 1925

अगस्त 2016 श्रावण 1938

अप्रैल 2019 चैत्र 1941

पुनर्मुद्रण

अक्तूबर 2019 अश्विन 1941

फरवरी 2021 माघ 1942

नवंबर 2021 अग्रहायण 1943

PD NTR

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण

परिषद्, 1985

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण

परिषद्, 2016

₹ 90.00

एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशित तथा

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। खड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टीकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस

श्री अरविंद मार्ग

नयी दिल्ली 110 016

फोन : 011-26562708

108, 100 फीट रोड

हेली एक्सटेशन, होस्टेकेरे

बनासंकरा III इस्टेट

बेंगलुरु 560 085

फोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन

डाकघर नवजीवन

अहमदाबाद 380 014

फोन : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी.कैंपस

निकट: धनकल बस स्टॉप पानिहटी

कोलकाता 700 114

फोन : 033-25530454

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस

श्री अरविंद मार्ग

नयी दिल्ली 110 016

फोन : 011-26562708

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग : अनूप कुमार राजपूत

मुख्य संपादक : श्वेता उप्पल

मुख्य उत्पादन अधिकारी : अरुण चितकारा

मुख्य व्यापार प्रबंधक : विपिन दिवान

संपादक : रेखा अग्रवाल

उत्पादन सहायक : ...

आवरण

अमित श्रीवास्तव

पुरोवाक्

राष्ट्रिय-पाठ्यचर्या-रूपरेखायाम् अनुशंसितं यत् छात्राणां विद्यालयजीवनं विद्यालयेतर-जीवनेन सह योजनीयम्। सिद्धान्तोऽयं पुस्तकीय-ज्ञानस्य परम्परायाः पृथक् वर्तते, यस्याः प्रभावात् अस्माकं शिक्षाव्यवस्था इदानीं यावत् विद्यालयस्य परिवारस्य समुदायस्य च मध्ये अन्तरालं पोषयति। **प्रयासेऽस्मिन् विषयाणां मध्ये स्थितायाः भीत्तेः** निवारणं, ज्ञानार्थं रटनप्रवृत्तेश्च शिथिलीकरणमपि सम्मिलितं वर्तते।

प्रक्रमस्यास्य साफल्ये शिक्षकाणां तथाभूताः प्रयासा अपेक्ष्यन्ते यत्र ते सर्वानपि छात्रान् स्वानुभूत्या ज्ञानमर्जयितुं, कल्पनाशीलक्रियां विधातुं, प्रश्नान् प्रष्टुं च प्रोत्साहयन्ति। इदमवश्यं स्वीकरणीयं यत् स्थानं, समयः, स्वातन्त्र्यं दीयते चेत्, शिशवः वयस्कैः प्रदत्तेन ज्ञानेन संयुज्य स्वयं नूतनं ज्ञानं सृजन्ति। किन्तु शिशुषु सर्जनशक्तेः कार्यारम्भप्रवृत्तेश्च आधानं तदैव सम्भवेत् यदा वयं तान् शिशून् शिक्षणप्रक्रियायाः प्रतिभागित्वेन स्वीकुर्याम, तदेतान्युद्देश्यानि पूरयितुं विद्यालयस्य दैनिककार्यक्रमे कार्यपद्धतौ च परिवर्तनमभिलक्ष्य नवीनानि पाठ्यपुस्तकानि प्रतिविषयं विकसितानि छात्राणाम् अध्ययनम् आनन्दानुभूत्या भवेत् इत्येदर्थं शिक्षकाणां स्वशिक्षणपद्धतिपरिवर्तनमपि अपेक्षितं भवति संस्कृतसाहित्यस्य इतिहासः अतिविशालत्वेन समयबाहुल्यं (धैर्यमविहतां) जिज्ञासां च अपेक्षते। बहूनि पुस्तकानि अमुं (विषयमधिकृत्य) विद्वद्भिः विरचितानि। तानि च कायाकल्पविस्तारेण सुकुमारमतिच्छात्रेभ्यः स्वल्पसमयेन पठितुं विषयान् अवगन्तुं च क्लेशं जनयन्ति। राष्ट्रियशैक्षिकानुसन्धानप्रशिक्षणपरिषद्द्वारा संस्कृतसाहित्यपरिचयाभिधेयः ग्रन्थः पूर्वमपि प्रकाशितः, यत्र संस्कृतसाहित्येतिहासः संक्षिप्तरूपेण अध्येतृणां कृते सुगमतया परिपोषित आसीत्।

प्रक्रमेऽस्मिन् तस्य ग्रन्थस्य नवकलेवरेण वेदेभ्य आरभ्य संस्कृतस्य अद्यतनीं स्थितिं यावत् सिंहावलोकनेन विषयाः प्रतिपादिताः। संस्कृतसाहित्यस्य कवयित्र्यः आधुनिकसंस्कृतसाहित्यं संस्कृतपत्रिकाश्च इत्यादिविषयैः पुस्तकमिदं नावीन्यमावहति। कालक्रमं संस्कृतस्योद्भवविकासादिविषयम् अतिरिच्य ग्रन्थेऽस्मिन् साहित्यानां साहित्यिकानाञ्च प्रवृत्तिविषयेऽपि यथेष्टं पर्यालोचनं कृतमस्ति। अनेन ग्रन्थेन संस्कृतभाषासाहित्यस्य नैरन्तर्येण अद्यावधिप्रवाहः सरसतया छात्रैः जिज्ञासुभिश्च अवलोकयितुं शक्यते।

पुस्तकस्यास्य विकासे नैके विशेषज्ञाः शिक्षकाश्च महद् योगदानं कृतवन्तः। तान् तेषां संस्थाश्च प्रति कृतज्ञता प्रदर्श्यते। पाठ्यपुस्तकविकासक्रमे उन्नतस्तराय निरन्तरप्रयत्नशीला परिषदियं पुस्तकमिदं छात्राणां कृते उपयुक्ततरं कर्तुं विशेषज्ञैः अनुभविभिः शिक्षकैश्च प्रेषितानां सत्परामर्शानां सदैव स्वागतं विधास्यति।

नवदेहली
अगस्त, 2016

हृषिकेशः सेनापतिः
निदेशकः
राष्ट्रियशैक्षिकानुसन्धानप्रशिक्षणपरिषद्

भूमिका

संस्कृत विश्व की प्राचीन एवं महत्त्वपूर्ण भाषा है। इसमें ऋग्वेद-काल से लेकर आज तक साहित्य रचनाएँ की जा रही हैं। ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र में जितने ग्रन्थ संस्कृत में लिखे गए हैं उतने किसी भी प्राचीन भाषा में प्राप्त नहीं होते। भारतीयों ने इस भाषा के प्रति इतना आदरभाव व्यक्त किया कि उन्होंने इसे देवताओं की भाषा भी कहा। जो लोग अपनी रचनाएँ पालि, प्राकृत आदि भाषाओं में करते थे, संस्कृत भाषा का स्थायित्व देखकर वे भी संस्कृत में लिखने लगे। इसी कारण जैन और बौद्ध धर्म का परवर्ती साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा गया।

संस्कृत वाङ्मय बहुत विशाल है। यहाँ प्रत्येक विषय से सम्बद्ध ग्रन्थों की संख्या इतनी अधिक है कि उनका सम्यक् ज्ञान करना आजीवन अध्ययन करने वाले व्यक्ति के लिए भी कठिन है। संस्कृत भाषा ने भारत की आधुनिक भाषाओं को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित किया है। मध्यकाल के प्राकृत तथा अपभ्रंश-साहित्य को संस्कृत की सहायता के बिना समझना भी कठिन है। आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य का अधिकांश भाग संस्कृत साहित्य की देन है। भारतीय भाषाओं ने संस्कृत से बहुत से शब्दों को लिया है। इन शब्दों की व्युत्पत्ति जानने के लिए संस्कृत भाषा का अनुशीलन अपेक्षित है।

संस्कृत का महत्त्व भारत के अतिरिक्त विदेशों में भी स्वीकार किया गया है। जिस व्यक्ति को भारतीय ज्ञान-विज्ञान में तनिक भी रुचि है, वह संस्कृत की उपेक्षा नहीं कर सकता। विदेशों में विभिन्न विश्वविद्यालय संस्कृत भाषा तथा इतिहास के विषय में वर्षों से अनुसन्धान में लगे हुए हैं। ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में शायद ही कोई ऐसा विश्वविद्यालय होगा जहाँ संस्कृत भाषा का अनुशीलन न होता हो। वहाँ किए गए संस्कृत वाङ्मय संबंधी कार्य आज भी अनुसन्धान के क्षेत्र में मानदण्ड माने जाते हैं। मैक्समूलर, मैकडोनल, कीथ इत्यादि विद्वानों ने ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में रहकर संस्कृत साहित्य के विविध क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य किया था। इस दृष्टि से जर्मनी का योगदान शेष महत्त्वपूर्ण है। वहाँ विगत 150 वर्षों में संस्कृत भाषा और साहित्य से संबद्ध बहुत उपयोगी कार्य हुए हैं। संस्कृत भाषा की तुलना अन्य यूरोपीय भाषाओं से करके उन सभी भाषाओं को एक ही भारत-यूरोपीय परिवार का सिद्ध किया है। इस अध्ययन का सबसे बड़ा परिणाम है कि यूरोपीय

विश्वविद्यालयों में संस्कृत का अध्ययन भारत-यूरोपीय परिवार की प्राचीनतम भाषा के रूप में किया जाता है।

विश्व के अनेक देशों में संस्कृत भाषा और साहित्य का अनुशीलन किया जाता है। अमेरिका के कई विश्वविद्यालय भारतीय दर्शन, संस्कृत व्याकरण तथा साहित्य आदि विषयों के अनुशीलन तथा अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार जापान, थाइलैण्ड, श्रीलंका इत्यादि एशियाई देशों में भी भारतवर्ष के साथ प्राचीन सांस्कृतिक सम्बन्ध होने के कारण संस्कृत का महत्त्व समझा जाता है और इस दिशा में अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था की जाती है। विदेशों में कई संस्कृत ग्रन्थों के प्रामाणिक संस्करण तथा उनके अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। स्पष्ट है कि संस्कृत का महत्त्व भारत से बाहर भी कम नहीं है।

संस्कृत भाषा और साहित्य का राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से भी बहुत महत्त्व है। संस्कृत साहित्य की मूल चेतना भारतवर्ष को एक राष्ट्र के रूप में देखने की है। भारतवर्ष में क्षेत्रीय विषमताओं के होने पर भी जिन तत्त्वों ने इस देश को एक सूत्र में बाँध रखा है, उनमें संस्कृत भाषा तथा इसका साहित्य प्रमुख है। पुराणों ने भारत के भूगोल को इस रूप में प्रस्तुत किया है कि प्रत्येक नागरिक के मन में सम्पूर्ण देश के प्रति आस्था उत्पन्न हो जाती है। वह अपनी क्षेत्रीय भावना को राष्ट्र के प्रति प्रेम के बृहत्तर आदर्श में विस्तृत कर देता है। संस्कृत साहित्य ने उत्तर-दक्षिण या पूर्व-पश्चिम का भेदभाव मिटाकर प्रत्येक नागरिक को भारतीय होने का स्वाभिमान प्रदान किया है। यही नहीं, 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्' (समस्त जगत् को हम आर्य बनाएँ), 'वसुधैव कुटुम्बकम्' (सारी पृथ्वी ही हमारा परिवार है) इत्यादि सुन्दर उक्तियों में मानव मात्र के प्रति आत्मीयता के भाव व्यक्त किए गए हैं।

इसी उद्देश्य से संस्कृत-अध्ययन की अनुभूति की जाती रही है। संस्कृत-अध्ययन से हम अपने देश की प्राचीन संस्कृति को समझ सकते हैं। पूर्वजों ने संस्कृत वाङ्मय के रूप में हमें ऐसी संपत्ति दी है, जिसका लाभ अनंत काल तक मिलता रहेगा। वैदिक वाङ्मय, काव्य, दर्शन, धर्मशास्त्र, राजनीति, ज्योतिष, आयुर्वेद तथा अन्य क्षेत्रों में प्राचीन भारतीय ज्ञान-विज्ञान को समझने एवं संस्कृत भाषा की अभिव्यक्ति की सुंदरता का आनंद उठाने के लिए हमें संस्कृत का अध्ययन अवश्यमेव करना चाहिए।

संस्कृत भाषा और साहित्य के अध्ययन की दिशा में संस्कृत साहित्य के इतिहास का अत्यधिक महत्त्व है। हम कितने ही साधन-संपन्न क्यों न हों, किंतु इस भाषा के विशाल

वाङ्मय के प्रधान ग्रन्थरत्नों के अनुशीलन में समर्थ नहीं हो सकते। साहित्य के इतिहास के अनुशीलन द्वारा हम प्रमुख ग्रन्थों का परिचय पा सकते हैं। प्रत्येक भाषा के साहित्यिक-ग्रन्थों का परिचय पाने के लिए साहित्य के इतिहास की आवश्यकता होती है। यही बात संस्कृत साहित्य के साथ भी है।

प्रस्तुत पुस्तक

पिछले 30 वर्षों में विभिन्न भाषाओं में संस्कृत साहित्य के इतिहास लिखे गए हैं। कुछ इतिहास केवल वैदिक साहित्य का विवेचन करते हैं, तो कुछ केवल लौकिक संस्कृत साहित्य का। कुछ ग्रन्थों में केवल शास्त्रीय साहित्य का परिचय दिया गया है। इन इतिहास ग्रन्थों में वेबर, मैक्समूलर, मैकडोनल, विण्टरनिट्ज, ए.बी. कीथ इत्यादि पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा लिखे गए ग्रन्थों के अतिरिक्त कृष्णमाचार्य, पं. बलदेव उपाध्याय, कृष्णचैतन्य, वाचस्पति गैरोला, उमाशंकर शर्मा 'ऋषि' इत्यादि भारतीय विद्वानों द्वारा लिखे गए ग्रन्थ भी हैं। इन सभी ग्रन्थों का कलेवर इतना विशाल है कि विद्यालय के छात्रों को उनसे घबराहट होती है। आज भी साधारण छात्रों के लिए संस्कृत साहित्य के संक्षिप्त इतिहास की आवश्यकता बनी हुई है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली की ओर से स्वर्गीय प्रो.टी.जी. माईणकर द्वारा रचित *संस्कृत भाषा और साहित्य का संक्षिप्त इतिहास* नामक पुस्तक 1978 ई. में प्रकाशित की गई थी। उसके पश्चात् *संस्कृत साहित्य—परिचय* नामक पुस्तक का प्रणयन एवं संशोधित संस्करण प्रकाशित किए गए। विगत वर्षों के अनुभव एवं विशेषज्ञों से प्राप्त परामर्शों के आलोक में यह निश्चय किया गया कि छात्रों की वर्तमान अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक के स्थान पर एक नई पुस्तक लिखी जाए जो उनके स्तर के अधिक अनुरूप हो तथा उन्हें सरल भाषा में संस्कृत साहित्य के प्रमुख ग्रन्थों का परिचय दे सके। प्रारंभिक छात्रों को विवादास्पद विषयों से दूर रखते हुए उनका संस्कृत विषय में सीधा प्रवेश हो, इसी उद्देश्य से इस पुस्तक की रचना की गई है। इस पुस्तक की कतिपय विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के आलोक में बनी संस्कृत पाठ्यपुस्तकों में आए नूतन कवि एवं नवीन साहित्य को समाहित करने की दृष्टि से पुस्तक में अधिकाधिक संशोधन एवं नूतन विषयों का संयोजन आवश्यक समझा गया।

1. पुस्तक में विषय का चयन मुख्यतः उच्चतर माध्यमिक कक्षा के संस्कृत पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर किया गया है। संस्कृत वाङ्मय के उन पक्षों के अनावश्यक

विस्तार से यथासम्भव बचने का प्रयास हुआ है जिनकी आवश्यकता इस स्तर के छात्रों को नहीं होती है।

2. काल-निर्धारण-संबंधी जटिल समस्याओं के विवादों से बचते हुए यथा संभव निर्विवाद तथ्यों को समाविष्ट किया गया है।
3. विषयवस्तु के प्रतिपादन में विषय का महत्त्व, राष्ट्रीय मूल्य तथा उसके परवर्ती प्रभाव का यथास्थान उल्लेख किया गया है।
4. वैदिक साहित्य का परिचय प्रस्तुत करते हुए इस साहित्य की गरिमा एवं उसके सांस्कृतिक महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है।
5. आधुनिक संस्कृत साहित्य एवं संस्कृत कवयित्रियों का परिचय व लेखादि को प्रथम बार समाविष्ट किया गया है।
6. विभिन्न विधाओं के वर्णन में आधुनिक विशिष्ट रचनाओं को यथास्थान समाविष्ट किया गया है, जिसका इस विषय के अन्य ग्रन्थों में प्रायः अभाव पाया जाता है।
7. पाठों की विषय-वस्तु छात्रों को सरलता से हृदयंगम हो सके इस उद्देश्य से अध्यायों के अन्त में सारांश तथा पर्याप्त अभ्यास-प्रश्न दिए गए हैं, जो इस पुस्तक की अपनी मौलिक विशेषता है।
8. अभ्यास-प्रश्नों के निर्माण में ध्यान रखा गया है कि पाठ में कोई भी महत्त्वपूर्ण तथ्य न छूटे। अधिकांश प्रश्न वस्तुनिष्ठ हैं।
9. तथ्यों की प्रामाणिकता पर पूर्ण ध्यान दिया गया है।
10. पुस्तक को अधिक-से-अधिक उपयोगी बनाने के उद्देश्य से इसमें परिशिष्ट के रूप में लेखकानुक्रमणिका, ग्रन्थानुक्रमणिका, ग्रन्थ एवं ग्रन्थकारों की कालक्रमसारणी, पत्र-पत्रिकाओं की सूची तथा विशेष अध्ययन के लिए अनुशंसित पुस्तकों की सूची को समाविष्ट किया गया है। ये परिशिष्ट न केवल छात्रों के लिए, अपितु शिक्षकों एवं सामान्य संस्कृत जिज्ञासुओं के लिए भी विशेष महत्त्व के हैं।

प्रस्तुत संस्करण पूर्व प्रकाशित *संस्कृत साहित्य—परिचय* पुस्तक का संशोधित रूप है। इसमें 12 अध्याय हैं, जिनमें क्रमशः संस्कृत भाषा, उद्भव एवं विकास, वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत तथा पुराण, महाकाव्य, ऐतिहासिक महाकाव्य, काव्य की अन्य विधाएँ, गद्यकाव्य एवं चम्पू काव्य, कथा साहित्य, नाट्य साहित्य, आधुनिक संस्कृत साहित्य, संस्कृत कवयित्रियाँ तथा शास्त्रीय साहित्य का विवेचन हुआ है। प्रत्येक अध्याय

की समाप्ति पर अभ्यास के लिए विषयनिष्ठ और वस्तुपरक दोनों प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, जो विषय को समझने में सहायक होंगे। वस्तुपरक प्रश्न संदेह की स्थिति उत्पन्न करके बुद्धि को शीघ्र निर्णय करने की क्षमता प्रदान करते हैं। ऐसे प्रश्नों की अधिकाधिक विधाओं का निवेश पूरी पुस्तक में हुआ है। विषयवस्तु का प्रतिपादन सरल रूप में करने का प्रयास किया गया है। आधुनिक संस्कृत साहित्य पर अलग से दृष्टिपात कर संस्कृत साहित्य की जीवंत गतिशील स्थिति को स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार यह पुस्तक न केवल कक्षा 12 के लिए ही वरदान स्वरूप होगी, अपितु विश्वविद्यालयीय अध्येताओं के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी।

संशोधित संस्करण की विशेषताएँ

- प्रस्तुत संस्करण में परिषद् द्वारा सन् 2005 में विकसित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के आलोक में विकसित संस्कृत के नवीन पाठ्यक्रम कक्षा 11-12 में निर्धारित पाठ्यांशों का समुचित समावेश किया गया है।
- संस्कृत के इतिहास में प्रथम बार विभिन्न काल खण्डों में की गई संस्कृत रचनाओं में स्पष्टतया विद्यमान विभिन्न प्रवृत्तियों को भी उजागर किया गया है।

आशा है, सुकुमारमति विद्यालयीय छात्रों को विशाल संस्कृत साहित्य की समृद्धि से परिचित कराने तथा उनमें संस्कृत साहित्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने में यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी। इस पुस्तक के निर्माण में जिन ग्रन्थों, ग्रन्थकारों एवं विद्वानों से सहायता मिली है, लेखक उनके प्रति हृदय से कृतज्ञ है।

भारत का संविधान

¹भाग 4क

नागरिकों के मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह -

- (क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;
- (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;
- (ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;
- (घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
- (ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है;
- (च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे;
- (छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे;
- (ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
- (झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;
- (ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले;

²[(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे।]

¹ संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 11 द्वारा (3.1.1977 से) अंतःस्थापित।

² संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 4 द्वारा (1.4.2010 से) अंतःस्थापित।

पुस्तक-निर्माण में योगदान करने वाले विशेषज्ञ

उमाशंकर शर्मा ऋषि, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (सेवानिवृत्त), संस्कृत विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना।

कमलाकान्त मिश्र, प्रोफेसर (सेवानिवृत्त), संस्कृत, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।

जर्नादन, 'मणि' राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, इलाहाबाद कैम्पस, इलाहाबाद।

पंकज मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, सेंट स्टीफन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

पुरुषोत्तम मिश्र, पी.जी.टी. (संस्कृत), रा.व.मा.बा. विद्यालय नं. 1, मॉडल टाउन, दिल्ली।

प्रभुनाथ द्विवेदी, आचार्य एवं अध्यक्ष (सेवानिवृत्त), संस्कृत विभाग, काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

बनमाली बिश्वाल, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, इलाहाबाद कैम्पस, इलाहाबाद।

मीरा द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

रणजित् बेहेरा, एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

राजेन्द्र मिश्र, पूर्व कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।

राधावल्लभ त्रिपाठी, कुलपति, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जनकपुरी, नयी दिल्ली।

राम सुमेर यादव, प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

वीरेन्द्र कुमार, टी.जी.टी. (संस्कृत), केन्द्रीय विद्यालय नं.-2, दिल्ली कैण्ट, नयी दिल्ली।

श्रीधर वशिष्ठ, पूर्व कुलपति, श्री लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कटवारिया सराय, नयी दिल्ली।

श्रेयांश द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एस.सी.ई.आर.टी., सोहना रोड, गुडगांव, हरियाणा।

हरि ओम शर्मा, टी.जी.टी. (संस्कृत), प्रायोगिक विद्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान,
अजमेर, राजस्थान।

हरिदत्त शर्मा, पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद।

समन्वयक एवं संपादक

कृष्ण चन्द्र त्रिपाठी, प्रोफेसर, (संस्कृत), संपादक।

जतीन्द्र मोहन मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, (संस्कृत), सह संपादक।

© NCERT
not to be republished

विषयानुक्रमणिका

पुरोवाक्		iii
भूमिका		v
प्रथम अध्याय	संस्कृत भाषा—उद्भव एवं विकास	1-10
द्वितीय अध्याय	वैदिक साहित्य	11-26
तृतीय अध्याय	रामायण, महाभारत एवं पुराण	27-36
चतुर्थ अध्याय	महाकाव्य	37-48
पञ्चम अध्याय	ऐतिहासिक महाकाव्य	49-54
षष्ठ अध्याय	काव्य की अन्य विधाएँ	55-64
सप्तम अध्याय	गद्यकाव्य एवं चम्पूकाव्य	65-76
अष्टम अध्याय	कथा साहित्य	77-84
नवम अध्याय	नाट्य-साहित्य	85-98
दशम अध्याय	आधुनिक संस्कृत साहित्य	99-110
एकादश अध्याय	संस्कृत कवयित्रियाँ	111-116
द्वादश अध्याय	शास्त्रीय साहित्य	117-132
परिशिष्ट	I लेखकानुक्रमणिका	133-136
	II ग्रन्थानुक्रमणिका	137-144
	III ग्रन्थ एवं ग्रन्थकारों की कालक्रमसारिणी	145-152
	IV संस्कृतपत्रिकाणाम् अनुक्रमणिका	153-158
	V अनुशंसित पुस्तकों की सूची	159-160

भारत का संविधान उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक ¹[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और ²[राष्ट्र की एकता

और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) “प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) “राष्ट्र की एकता” के स्थान पर प्रतिस्थापित।